

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

**//अधिसूचना//**

रायपुर, दिनांक: 23 / 04 / 2015


क्रमांक एफ 10-22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(42) :: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा प्राप्त बैंक/वित्तीय-संस्थाओं से ऋण-अग्रिम प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से प्रथम ऋण स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से 03 (तीन) वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान करती है :-

1. पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योगों (कोर सेक्टर के उद्योग सहित) की स्थापना (संलग्न परिशिष्ट-‘एक’ में दर्शाये गये संतृप्त उद्योगों को छोड़कर);
2. उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत आने वाले, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शक्तीकरण (संलग्न परिशिष्ट-‘एक’ में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर);
3. फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना ;
4. राज्य शासन द्वारा परिभाषित लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना ।

**स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :-**

1. उपरोक्त क्रमांक (1) से (4) के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2014-2019 के परिशिष्ट-1 में यथापरिभाषित हैं ।
2. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा ।
3. ऐसा प्रमाण-पत्र बैंक/वित्तीय संस्थाओं में बंधक के लिए प्रस्तुत विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित विलेख की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा ।
4. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में औद्योगिक नीति 2009-14 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी ।
5. उक्त अधिसूचना दिनांक 01/11/2014 से प्रभावशील मानी जावेगी ।
6. ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(ए.पी.त्रिपाठी) 23/4/15  
विशेष सचिव

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

**परिशिष्ट—“एक”**

(औद्योगिक नीति 2014-2019 के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित संतृप्त उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)


**(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची :-**

1. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
2. एल्कोहल, डिस्टिलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
3. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
4. आरा मिल (साँ मिल)
5. लेदर टैनरी
6. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
7. किसी भी उत्पाद की रि-पैकिंग
8. मिनरल वाटर
9. पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
10. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
11. चूना निर्माण, चूना पावडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग
13. स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
14. स्पंज आयरन
15. क्लंकर
16. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें ।

**(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों (औद्योगिक नीति 2014-2019 के परिशिष्ट-7 अनुसार) में संतृप्त उद्योगों की सूची:-**

1. राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
2. हालर मिल
3. मुरमुरा मिल
4. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट
5. खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
6. मिनी सीमेंट प्लांट
7. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें ।

**टीप:-** संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।



(ए.पी.त्रिपाठी)

विशेष सचिव

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

**//अधिसूचना//**

रायपुर, दिनांक: 23 / 04 / 2015


क्रमांक एफ 10-22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(41) :: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रयोजनों हेतु भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे की निष्पादित लिखतों पर (माइनिंग से संबंधित भूमि के क्रय/पट्टे की लिखतों को छोड़कर) प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :-

1. पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योगों (कोर सेक्टर के उद्योग सहित) की स्थापना (संलग्न परिशिष्ट-‘एक’ में दर्शाये गये संतृप्त उद्योगों को छोड़कर) ;
2. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना (न्यूनतम पच्चीस एकड़ का क्षेत्रफल होने पर) ;
3. फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना ;
4. राज्य शासन द्वारा परिभाषित लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना ।

**स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :-**

1. उपरोक्त क्रमांक (1) से (4) के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2014-2019 के परिशिष्ट-1 में यथापरिभाषित हैं ।
2. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा ।
3. ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा ।
4. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में औद्योगिक नीति 2014-19 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी ।
5. उक्त अधिसूचना दिनांक 01/11/2014 से प्रभावशील मानी जावेगी ।
6. ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
23/4/15

(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

**परिशिष्ट-“एक”**

(औद्योगिक नीति 2014-2019 के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित संतृप्त उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)


**(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची :-**

1. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
2. एल्कोहल, डिस्टिलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
3. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
4. आरा मिल (सॉ मिल)
5. लेदर टैनरी
6. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
7. किसी भी उत्पाद की रि-पैकिंग
8. मिनरल वाटर
9. पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
10. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
11. चूना निर्माण, चूना पावडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राइंडिंग/पलवराइजिंग
13. स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
14. स्पंज आयरन
15. क्लिंकर
16. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें ।

**(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों (औद्योगिक नीति 2014-2019 के परिशिष्ट-7 अनुसार) में संतृप्त उद्योगों की सूची:-**

1. राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
2. हालर मिल
3. मुरमुरा मिल
4. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट
5. खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
6. मिनी सीमेंट प्लांट
7. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें ।

**टीप:-** संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।



(ए.पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक: 23 / 04 / 2015


क्रमांक एफ 10-22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(43) :: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रावधानानुसार, राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित भू-खण्डों एवं भूमि बैंक हेतु भू-अधिग्रहण किये जाने पर, भू-अर्जन से प्रभावित भूमिस्वामियों के द्वारा, प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, उनके पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि क्रय करने संबंधी अंतरण की लिखतों पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुये प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है:-

1. अधिग्रहण से प्रभावित भूमिस्वामियों द्वारा, प्रतिकर (मुआवजा) राशि प्राप्ति दिनांक से 02 (दो) वर्ष की अवधि में, विलेख निष्पादित किया गया हो;
2. स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता प्रभावित भूमिस्वामियों को प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक परिसीमित होगी, क्रय की जाने वाली ऐसी कृषि भूमि का बाजार मूल्य, प्रतिकर (मुआवजा) की राशि से अधिक होने की स्थिति में, संपत्ति के शेष बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा ;
3. प्रभावित व्यक्ति द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हो;
4. संबंधित भूमिस्वामी को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, संलग्न परिशिष्ट "एक" में दर्शाये प्रारूप अनुसार, अधिग्रहण क्षेत्र के भू-अर्जन प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा;
5. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा;
6. ऐसे प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा।

**स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :-**

1. उक्त अधिसूचना दिनांक 01/11/2014 से प्रभावशील होगी ।
2. ऐसे विलेखों जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी ।
3. यदि एक ही पंजीयन कार्यालय में एक से अधिक हस्तांतरण विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, तो मूल प्रमाण-पत्र पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(ए.पी.त्रिपाठी)

विशेष सचिव

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने पर प्रभावित भूमिस्वामी द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, कृषि भूमि क्रय करने संबंधी निष्पादित अंतरण की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु,

**:: प्रमाण-पत्र ::**

(दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रमाण-पत्र मूल में कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न किया जावे)

क्रमांक .....

जारी दिनांक- .....


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी-.....  
 पिता/पति-..... जाति-.....  
 निवासी-..... तहसील-..... जिला-..... (छ.  
 ग.) की, ग्राम-..... प.ह.नं.-..... राजस्व निरीक्षण मण्डल-.....  
 ब्लाक-..... तहसील-..... जिला-..... (छ0ग0) में स्थित  
 भूमिस्वामी हक की भूमि जिसका खसरा नम्बर ..... रकबा-..... है, को  
 औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रावधानानुसार औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया  
 जाकर दिनांक-..... को प्रतिकर (मुआवजा) की राशि रुपये  
 ...../- (शब्दों में-.....  
 .....) नियमानुसार भुगतान की गई है ।

यह प्रमाण पत्र एतद द्वारा आज दिनांक-..... को छत्तीसगढ़ शासन,  
 वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक-.....  
 दिनांक-..... की शर्तों के अधीन प्रभावित भूमि-स्वामी द्वारा रुपये ...../-  
 (शब्दों में-.....) तक की कृषि भूमि  
 क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक-.....  
 तक दस्तावेज के निष्पादन हेतु प्रभावशील होगा ।

स्थान :

तारीख :

(सक्षम प्राधिकारी के  
 हस्ताक्षर सील सहित)

  
 23/11/15

(ए.पी.त्रिपाठी)  
 विशेष सचिव  
 वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//


रायपुर, दिनांक: 23 / 04 / 2015

क्रमांक एफ 10-22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(५५) :: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रावधानानुसार, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक प्रयोजन/भूमि बैंक के लिए भूमि क्रय/पट्टे पर लिये जाने हेतु उनके पक्ष में निष्पादित क्रय/पट्टे की लिखतों पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :-

**स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :-**

1. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भूमि क्रय/पट्टे के प्रकरणों में उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जावेगा ।
2. ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा ।
3. उक्त अधिसूचना दिनांक 01/11/2014 से प्रभावशील होगी ।
4. ऐसे विलेखों जिनमें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(ए.पी.त्रिपाठी)

विशेष सचिव

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग